एम.ए.सी.पी. संख्या १९८/२०१९,
श्रीमती सुन्नी यादव पत्नी श्री दयाराम यादव उम्र ५४ वर्ष नि. ग्राम पचार पोस्ट बझेरा थाना चिरगाँव जिला झाँसी

------याचिया

प्रति

१. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी ५२०/२ कोछाभांवर थाना नवाबाद जिला झाँसी
.......वाहन स्वामी डम्फर सं. यू.प. ९३ बी.टी. ४३१४

२. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी १३९ ग्राम गढ़मऊ थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
.......चालक डम्फर सं. यू.पी.९३ बी.टी. ४३१४

३. मुख्य प्रबन्धक चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. सेकेण्ड फ़्लोर डेयर आउस नं. २ एन.एस. सी. बोस रोड चैन्नई जरिए प्रबन्धक चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. सेन्ट फ्रान्सेस कॉलेज ४ मैरीगोल्ड शाहनजफ रोड, हजरतगंज लखनऊ, उ.प्र.
.......बीमा कम्पनी डम्फर सं. ९३ बी.टी. ४३१४

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री आलोक कुमार खरे
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

<u>१२.१२.२०२०</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से ६०बी सुलहनामा दाखिल किया गया, जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तसदीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ६०बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिया व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ६०बी याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई। ६०बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५०,००० याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचिया सुलहनामा ६०बी में दर्शित कुल ₹ ५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ६०बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिया की याचिका सुलहनामा ६०बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ६०बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ मुख्य प्रबन्धक चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ५०,०००** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याचिया अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए नकद प्राप्त कर सकेगी। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 17:06:41 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi